

विविध पत्रा. 00/2018

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

राकेश बनाम राज्य सरकार

वादपत्र संख्या 58/2018

अन्तर्गत धारा 188, 192 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
17.05.2018	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र घिण्टाला द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत किया गया. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. वाद दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावें. पत्रावली दिनांक 30 मई, 2018 को पेश हो.</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p> <p>235-XVI// पत्रावली के माध्यम से पत्रावली में जो गये राज्य सरकार की ओर से उपस्थित तहसीलदार (राजस्थान) श्रीगंगानगर द्वारा स्वतंत्र वाद पत्र प्रस्तुत शामिल है. राज्य पत्र की ओर से प्रस्तुत पत्रों में यह तथ्य उल्लिखित किया गया कि मसूमा ए अम से प्राप्त जानकारी, शिकायत प्रमाण पत्र- वैन कार्ड के अनुसार वादी का नाम राकेश कुमार की अपेक्षा राकेश कुमार का नाम राकेश कुमार की अपेक्षा राकेश घोषित करने पर कोई आपत्ति नहीं होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये.</p> <p>वादी द्वारा प्रस्तुत मापसव अभिलेख क्रम 12 एच. एल. के प्रमाणों के संबंध 2068-2071 के स्वामि सं. 12/10 मुठ नं. 25 में वादी के कु. 518 हेक्टर क्षेत्र भूमि में वादी का नाम राकेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार अर्थात् वही है. वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड # 8965 5722 8135, ए. नं. AXBPR6202P</p>	

की प्रमाण पत्र (नेल नं 0535867)  
के अनुसार वादी का नाम रमेश कुमार  
राम कुमार व्याणी है।

Noted by-  
24/05/18

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत  
अभिलेख, राज्य पत्र की प्रस्तुत  
जवाब वाद पत्र के आधार पर  
वाद पत्र खींचा किया जाता है  
तथा वादी का नाम रमेश  
आपल से राम कुमार व्याणी  
घोषित किया जाता है. यथा निका  
करी है.

(यशपाल जाया)  
राहायक कलरर (FT)  
पुणे गंगानगर  
कर्मच सुपवासी